राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 484/2024

दीपक जोशी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक सह संयुक्त शासन सचिव, स्थानीय निकाय, सिविल लाइंस फाटक के पास, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर।
3. कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका, खैरथल, जिला खैरथल–तिजारा (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.02.2024
आदेश की दिनांक : 07.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर नगर पालिका खैरथल में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से अलवर किया गया है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 02.06.2023 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया था और दिनांक 10.07.2023 को अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया, परंतु मात्र 7 माह की अल्पावधि में ही पुनः अपीलार्थी का स्थानान्तरण अलवर कर दिया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10827/2015 में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2015 में ऐसे स्थानान्तरणों को अनुचित माना है। अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश भी उक्त विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ सहायक के पद पर नगर पालिका खैरथल में कार्यरत है। आदेश दिनांक 02.06.2023 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को खैरथल पदस्थापित किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 10.07.2023 को खैरथल कार्यग्रहण किया और मात्र 6 माह की अल्पावधि में ही अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा खैरथल से अलवर स्थानान्तरित कर दिया गया, ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी तीन सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)